



RERA REGISTRATION NO.: 05 of 2017 dated 20.06.2017 (www.haryanarera.gov.in)

सूचना

Licence No.: 13 of 2016 dated 26.09.2016

परियोजनाः The Roselia, कमर्सियल स्पेसः Signum 95A जबकि

त. निम्नलिखित आवटी को उपरोक्त परियोजना में उनके आवेदन के तदनानुसार निम्नलिखित इकाई आवंटित की गयी थी:

क्रमांक	आवंटी का नाम	आवंटित इकाई	बीबीए तिथि	टीपीए तिथि		उक्त बैंक पत्र के बारे में आवटी को सूचित करने वाले पत्र की तिथि
1	MOUMITA Bagchi	E-204	26-Nov-18	NA	13-03-2023	14-03-2023

- उपरोक्त आवटी ने संबंधित बैंक के साथ प्रासंगिक समय पर एक त्रिपक्षीय समझौता किया था और तदनुसार, ऋण वितरित किया गया था।
- 3. उक्त त्रिपक्षीय समझौता के अनुसार उक्त ऋण के मुगतान में चूक की स्थिति में आवटन रद्द कर दिया जाएगा और प्राप्त राशि का मुगतान संबंधित बैंक की सूचना पर बयाना राशि की कटौती के बाद सीधे बैंक को किया जाएगा।
- 4. संबंधित बैंक ने हमें सूचित किया है कि उपरोक्त आवटी ने उक्त ऋण राशि के भुगतान में चूक की है और साथ ही आवटन को उक्त त्रिपक्षीय समझौता के शर्तानुसार रह (समाप्त) करने और प्राप्त राशि से बयाना राशि की कटौती के बाद सीधे बैंक को चुकाने के लिए कहा है।
- 5. उपरोक्त आवंटी को उचित समय पर इस सूचना के बारे में सूचित किया गया है। हालांकि उपरोक्त आवंटी की ओर से उक्त ऋण की अदायगी में हुई चूक को ठीक करने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए यह सूचना एक बार पुनः दी जा रही है।

इसके सूचना के जिएए स्वित किया जाता है उपरोक्त आवटी ने यदि उक्त ऋण की अदायमी में में हुई चूक को अगले 10 दिनों में ठीक नहीं किया तो हम उक्त त्रिपक्षीय समझौता के शर्तानुसार संबंधित बैंक के सुचनानुसार आवटन को रद (समाप्त) करने और प्राप्त राशि से बयाना राशि की कटौती के बाद शेष राशि को सीधे बैंक को चुकाने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे मामले में, उपरोक्त आवटी के पास उक्त आवटन पर कोई ग्रहणाधिकार या दावा नहीं रहेगा और कपनी अपने विवेकाधिकार पर किसी मी व्यक्ति एवम पार्टी को उक्त आवटन को बेचने, देने या स्थानांतरित करने की हकदार होंगी।